

## पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

क्र० सं०	योजना/कार्यक्रम का नाम	योजना का विवरण	लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष आवेदन की प्रक्रिया	परिवादी द्वारा प्रस्तुत अधिकांश आवेदन	अभियुक्ति
1	अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं, जिनके अभिभावाक की वार्षिक आय अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक है। कक्षा-11 एवं उच्चतर कक्षा तथा डिप्लोमा / डिग्री स्तर का मेडिकल / इंजिनियरिंग / प्रबंधान एवं अन्य प्रवेशिकोत्तर कोर्सों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को निर्धारित दर पर प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।	वर्तमान में यह योजना शिक्षा विभाग को स्थानांतरण किया जा चुका है। जिसकी प्रक्रिया एवं सुनवाई शिक्षा विभाग के अन्तर्गत की जाती है।		
2	अन्य पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रीक छात्रवृत्ति योजना	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं जो कक्षा-1 से 4, कक्षा-5 से 6, कक्षा-7 से 10 एवं कक्षा-1 से 10 तक (छात्रावासी) को क्रमशः 600/-, 1200/-, 1800/- एवं छात्रावासी को 3000/- रु0 की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।	वर्तमान में यह योजना शिक्षा विभाग को स्थानांतरण किया जा चुका है। जिसकी प्रक्रिया एवं सुनवाई शिक्षा विभाग के अन्तर्गत की जाती है।		
3	मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना	अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राएं, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक (10वीं) की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करते हैं उन्हें एकमुश्त रु0 10,000 की राशि प्रदान की जाती है।	वर्तमान में यह योजना शिक्षा विभाग को स्थानांतरण किया जा चुका है। जिसकी प्रक्रिया एवं सुनवाई शिक्षा विभाग के अन्तर्गत की जाती है।		
4	मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना	पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राएं, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक (10वीं) की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करते हैं उन्हें एकमुश्त रु0 10,000 की राशि प्रदान की जाती है।	वर्तमान में यह योजना शिक्षा विभाग को स्थानांतरण किया जा चुका है। जिसकी प्रक्रिया एवं सुनवाई शिक्षा विभाग के अन्तर्गत की जाती है।		

5	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास योजना	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं (कक्षा 6 से 12 तक) के लिए 11 जिलों में वर्तमान में संचालित है।	संबंधित जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय		
6	जननायक कर्पूरी ठाकूर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास	अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राएं जो शहर में रहकर शिक्षा ग्रहण करने में समर्थ नहीं हैं।	संबंधित जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय		
7	अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या अवासीय +2 उच्च विद्यालय	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए में 12 जिलों में 14 वर्तमान में संचालित है।	संबंधित जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय		
8	प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र प्रतियोगिता परीक्षा पूर्व तैयारी से संबंधित परिवाद	1. सिविल सेवा तथा एस०एस०सी० एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में चयनित हाने के लिए परीक्षा पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण (कोचिंग) हेतु। 2. प्रशिक्षण केन्द्र पर 60–60 (कुल 120) छात्र/छात्राओं के दो बैच (प्रशिक्षण अवधि 06 माह) संचालित कराये जायेंग। 3. कोर्स का चयन संबंधित केन्द्र निदेशक द्वारा किया जायेगा।	संबंधित जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय		
9	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम से संबंधित मामले	1. प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजना 2. मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना 3. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास प्रशिक्षण योजना 4. मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा एवं स्वराजगार ऋण योजना कार्यान्वयन	संबंधित जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय		